न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 58 / 2022 (GCMS No. 2022/323)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1– पेमाराम पुत्र उदाराम, जाति मेघवाल, निवासी मेघवालों का बास, दांतीवाड़ा, तहसील व जिला जोधपुर		1– सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर 2– परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जोधपुर

आर्बीटेशन आवेदन / प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5)(6) एवं 3 एच(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, आर्बीट्रेशन एवं कन्सीलियेशन अधिनियम–1996 (1996 का 26) एवं अन्तर्गत धारा 64 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013

उपस्थितिः–

दिनांकः 26.08.2025

1. श्री बाबूलाल गोरा (प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता)– उपस्थित
2. श्री एल.आर. पूनिया (अप्रार्थीपक्ष–02 के अधिवक्ता)– उपस्थित
3. अप्रार्थीपक्ष 1–अनुपस्थित

पंचाट

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश क्रमांक NHAI/LA/Arb./2015 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का संख्याक 48) की धारा 3G की उपधारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर जिलें की स्थानीय सीमा में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को माध्यस्थम (ARBITRATOR) नियुक्त किया गया है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 बर–बिलाड़ा– जोधपुर खंड के किलोमीटर 85.750 से किलोमीटर 110.000 तक (चौड़ीकरण / चारलेन मय पेव्ड शोल्डर) के निर्माण हेतु जोधपुर उपखंड के 4 ग्राम–1. दांतीवाड़ा, 2. धायलो की ढाणी, 3. बिसलपुर, 4. डांगियावास की निजी एवं सरकारी भूमि के अर्जन / अवाप्ति की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 (1956 का 48) के तहत की जाकर अर्जन / अवाप्तिधीन भूमि का मुआवजा राशि का निर्धारण भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 के तहत कर दिनांक 26.12.2018 को अवाप्तिधीन भूमि का अवार्ड एवं दिनांक 22.02.2019 को संरचना का अवार्ड पारित किया गया। प्रार्थी की सहखातेदारी, कब्जा काश्त व मालिकाना हक अधिकार की कृषि भूमि मौजा ग्राम दांतीवाड़ा तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 419 रकबा 23–08 बीघा भूमि आई हुई है, जिसमे से खसरा संख्या 419 मे से रकबा 0.4185 हेक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 बर–बिलाड़ा–जोधपुर सड़क निर्माण हेतु अवाप्त की गई है, उपरोक्त अवाप्ति कार्यवाही बाबत भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना का.आ.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

संख्या 1265 (अ) का दिनांक 13.05.2014 को प्रकाशित की गई, जिससे उपरोक्त अवाप्ति बाबत दिनांक 26.12.2018 को अवाप्तिधीन भूमि का अवार्ड राशि 62,27,148/- एवं दिनांक 22.02.2019 को संरचना का अवार्ड राशि 33,92,242/- अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पारित किया गया। उपरोक्त अवाप्तिधीन भूमि का अवार्ड दिनांक 26.12.2018 को पारित अवार्ड राशि 62. 27,148/- प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण को जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने पत्रावली/आवेदन अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष दिनांक 22.03.2019 को पेश किया, लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर लापरवाही पूर्वक बैंक व विभाग को ब्याज का फायदा पहुचाने के लिए प्रार्थीगण की स्वीकृत राशि लम्बे समय तक जारी नही की, अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की राशि लगभग 6 माह तक बिना कोई कारण, बिना कोई नोटसीट/आदेशिका का अंकन किये रोक रखी तथा बैंक व विभाग के कर्मचारियो को फायदा पहुचाने व प्रार्थीगण की राशि जारी करने में देरी कर प्रार्थीगण को तंग परेशान करने के प्रयास किये गये, जिसका अप्रार्थीगण व इनके अधीनस्थ कर्मचारियो को कोई अधिकार नहीं है, अप्रार्थीगण की लापरवाही से प्रार्थीगण को अवार्ड राशि पर 6 माह का ब्याज का नुकसान हुआ है जो प्रार्थी अप्रार्थीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है। उपरोक्त अवाप्तिधीन भूमि पर स्थित संरचना का अवार्ड दिनांक 22.02.2019 को पारित अवार्ड राशि 33,92,242/- प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण को जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने पत्रावली/आवेदन अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष दिनांक 21.10. 2019 को पेश किया लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर लापरवाही पूर्वक बैंक व विभाग को ब्याज का फायदा पहुचाने के लिए प्रार्थीगण की स्वीकृत राशि लम्बे समय तक जारी नही की अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की राशि लगभग 21 माह तक बिना कोई कारण, बिना कोई नोटसीट/आदेशिका का अंकन किये रोक रखी तथा बैक व विभाग के कर्मचारियो को फायदा पहुचाने व प्रार्थीगण की राशि जारी करने मे देरी कर प्रार्थीगण को तंग परेशान करने के प्रयास किये गये जिसका अप्रार्थीगण व इनके अधीनस्थ कर्मचारियो को कोई अधिकार नही है, अप्रार्थीगण की लापरवाही से प्रार्थीगण को अवार्ड राशि पर 21 माह का ब्याज का नुकसान हुआ है जो प्रार्थी अप्रार्थीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। उपरोक्त प्रार्थीगण की स्वीकृत राशि जारी करने में अप्रार्थीगण द्वारा लापरवाही पूर्वक विधि विरूद्ध तरीके से देरी करने पर प्रार्थीगण गरीब काश्तकार है जो हर रोज अप्रार्थीगण विभाग के चक्कर लगाते रहे तथा कई बार प्रार्थीगण द्वारा राशि जारी करने बाबत लिखित मे निवेदन किया गया एवं जनप्रतिनिधियो से भी अप्रार्थीगण से निवेदन करवाया लेकिन अप्रार्थीगण ने किसी की न सुन कानून का घोर उल्लंघन कर, भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपने पद का दुरूपयोग करते हुए, प्रार्थीगण के हक अधिकारों का हनन कर प्रार्थीगण का भारी नुकसान पहुचाया है जिससे उपरोक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश है जो स्वीकार करने योग्य है। प्रार्थना पत्र के अंत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की स्वीकृत राशि जारी करने मे अप्रार्थीगण द्वारा लापरवाही पूर्वक विधि विरूद्ध तरीके से देरी करने पर हुए प्रार्थीगण को नुकसान व भूमि अवार्ड की राशि जारी करने में हुई लगभग 6 माह व संरचना अवार्ड की राशि जारी करने में हुई 21 माह का ब्याज प्रार्थी को दिलाने के आदेश/पंचाट जारी कराने का निवेदन किया गया।

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर 58/2022 (GCMS No. 2022/323) कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष-01 व 02 के नोटिस बाद तामिल लौटे। अप्रार्थीपक्ष 02 की ओर से दिनांक 11.01.2023 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दी जाकर जिसे सामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थीपक्ष 02 के अधिवक्ता की ओर से दिनांक 11.01.2023 को प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्य में आरम्भिक आपत्तियां इस प्रकार है प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र जो प्रस्तुत किया गया है वह पूर्णतया गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थी ने अवाप्त भूमि के अवार्ड

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

दिनांक 26.12.2018 एवं संरचना का अवार्ड दिनांक 22.02.2019 की निर्धारित राशि पर 6 माह एवं 21 माह का अतिरिक्त ब्याज दिलाने हेतु गलत रूप से प्रस्तुत किया गया हैं जबकि उक्त भूमि के अवार्ड दिनांक 26.12.2018 मे 12 प्रतिशत ब्याज जोडकर अवार्ड पारित किया गया है तथा संरचना के अवार्ड पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होता है। उक्त अवार्ड पारित होने के तुरन्त बाद अवार्ड राशि सक्षम अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी के पास जमा करवा दी गयी थी, जिस पर किसी भी प्रकार से आगे का ब्याज देय नही होता है इस प्रकार प्रार्थी ने ब्याज दिलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र निराधार एवं अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने के योग्य है। अप्रार्थीपक्ष 02 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पदवार जवाब इस प्रकार है– प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में उल्लेखित तथ्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 बर–बिलाड़ा–जोधपुर खण्ड के किलोमीटर 85.750 से किलोमीटर 110.000 तक (चोड़ीकरण चारलेन मय पेव्ड सोल्डर) के निर्माण हेतु जोधपुर उपखण्ड के चार गांव क्रमशः दांतीवाड़ा, धायलो की ढाणी, बिसलपुर व डांगियावास की निजी एवं सरकारी भूमि के अर्जन की कार्यवाही करके भूमि का मुआवजा राशि भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 के तहत् मुआजवा निर्धारण कर दिनांक 26.12.2018 को अवाप्त भूमि का अवार्ड जारी करने एवं दिनांक 22.02.2019 को सरंचनाओ का अवार्ड पारित करने का तथ्य सही है। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 मे वर्णित तथ्य प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि ख.न. 419 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा मे से रकबा 0.4185 हेक्टर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 बर–बिलाड़ा–जोधपुर के लिये अवाप्त करने तथा उस हेतु दिनांक 13.05.2014 को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं दिनांक 26.12.2018 को अवाप्त भूमि का अवार्ड राशि 62,27,148/– एवं दिनांक 22.02.2019 को संरचना का अवार्ड राशि 33,92,242/– पारित करने का तथ्य सही है। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है तथा गलत है कि प्रार्थी खातेदार के पक्ष में जारी अवार्ड की स्वीकृत राशि अप्रार्थी उतरदाता द्वारा लम्बे समय तक जारी नहीं की, जबकि अवार्ड राशि पारित होने के तुरन्त बाद सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के पास जमा करवा दी गयी थी, परन्तु प्रार्थी द्वारा भुगतान प्राप्त करने के संबधित औपचारीकता अण्डरटेकिंग आदि समय पर प्रस्तुत नही की, जो बाद में दिनांक 22.03.2019 को पेश की, तब जमा राशि का चौक दिनांक 20.05.2019 को सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी किया गया, जिसका भुगतान भी प्रार्थी ने प्राप्त कर लिया, इन परिस्थितियो में प्रार्थी का वर्तमान प्रार्थनापत्र काबिल निरस्त के है। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किये गये है वे पूर्णतया गलत है, अस्वीकार है तथा यह गलत है कि संरचना का अवार्ड दिनांक 22.02.2019 की राशि लम्बे समय तक जारी नही की, जबकि संरचना का अवार्ड पारित होते ही पारित राशि को तुरन्त अप्रार्थी संख्या 01 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी के पास जमा करवा दी गयी थी, उक्त राशि प्रार्थी को वितरण करने बाबत् गांव वालो ने विरोध किया तथा मंदिर, बाउण्ड्रीवाल, टांका व दुकान आदि संरचना ग्रामवासियो की है जिसके अवार्ड राशि ग्रामवासियो को दिलाये जाने बाबत् उजरदारी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। उसके बाद ग्रामवासियो व प्रार्थी के बीच समझौता हुआ एवं सरंचना की अवार्ड राशि प्रार्थी को देने की सहमति हुई, तब उसका भुगतान किया गया। प्रार्थी ने वर्तमान प्रार्थनापत्र उक्त वास्तविक तथ्यो को छुपाते हुए प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नही है। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 मे वर्णित तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किये गये है वे पूर्णतया गलत है, अस्वीकार है तथा यह गलत है कि अवार्ड की स्वीकृत राशि जारी करने मे अप्रार्थी उतरदाता द्वारा देरी की जिससे प्रार्थी को नुकसान हुआ जबकि स्वीकृत अवार्ड राशि अवार्ड पारित होते ही तुरन्त जमा करवा दी गयी थी परन्तु प्रार्थी संरचना अवार्ड की सहमति प्रस्तुत नही कर पाने के कारण प्रार्थी ने स्वयं देरी से भुगतान प्राप्त किया है जिसके लिये प्रार्थी स्वयं दोषी है। इन परिस्थितियो मे प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अनुचित लाभ प्राप्त करने के उदेश्य से प्रस्तुत किया गया है जो काबिल निरस्त है प्रार्थी किसी भी प्रकार का अवार्डराशि पर ब्याज प्राप्त करने का कतई अधिकारी नही है। जवाब प्रार्थना पत्र के अंत में प्रार्थी किसी भी प्रकार से मुआवजा राशि पर ब्याज प्राप्त करने के हक अधिकारी नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय भारी हर्जे खर्चे के निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

प्रार्थीपक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तवोज प्रस्तुत हुएः–

1–सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–112 बर–बिलाड़ा–जोधपुर खण्ड के किमी. 85.750 से किमी. 111.000 तक (चौडीकरण/चार लेन मय पेव्ड शोल्डर) के निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति अवार्ड दिनांक 26.12.2018 एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–112 बर–बिलाड़ा–जोधपुर खण्ड के किमी. 85.750 से किमी. 111.000 तक (चौडीकरण/चार लेन मय पेव्ड शोल्डर) के निर्माण हेतु जारी अवार्ड दिनांक 22.02.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि।

2–प्रार्थी द्वारा मुआवजा प्राप्त करने हेतु किया गया आवेदन की प्रमाणित प्रति।

3–अवाप्तसुदा भूमि की जमाबंदी की प्रतिलिपि।

4–मुआवजा राशि हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों की प्रमाणित प्रति।

5–प्रार्थी के बैंक खाते के बैंक डायरी की प्रति।

अप्रार्थीपक्ष–2 के अधिवक्ता की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 11.01.2023 को प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दी जाकर सामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पत्रांक राजकाज रेफ. 17240370 दिनांक 19.08.2025 से प्राप्त रिपोर्ट को सामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 03.06.2025 को उपस्थित प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता व अप्रार्थीपक्ष–02 के अधिवक्ता की बहस सुनी।

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पत्रांक राजकाज रेफ. 17240370 दिनांक 19.08.2025 से प्राप्त रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) कार्यालय में भूमि का मुआवजा हेतु दिनांक 27.03.2019 एवं सरंचना का मुआवजा हेतु दिनांक 18.12.2020 को आवेदन किया गया तथा परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा मुआवजा राशि का हस्तातंरण भूमि अवाप्ति अधिकारी को मुआवजा वितरण हेतु दिनांक 02.05.2019 को किया गया।

प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 बर–बिलाड़ा–जोधपुर खंड के किलोमीटर 85.750 से किलोमीटर 110.000 तक (चौड़ीकरण/चारलेन मय पेव्ड शोल्डर) के निर्माण हेतु जोधपुर उपखंड के 4 ग्राम–1. दांतीवाड़ा, 2. धायलो की ढाणी, 3. बिसलपुर, 4. डांगियावास की निजी एवं सरकारी भूमि के अर्जन/अवाप्ति की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 (1956 का 48) के तहत की जाकर अर्जन/अवाप्तिधीन भूमि का मुआवजा राशि का निर्धारण भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 के तहत कर दिनांक 26.12.2018 को अवाप्तिधीन भूमि का अवार्ड एवं दिनांक 22.02.2019 को संरचना का अवार्ड पारित किया गया। प्रार्थी की सहखातेदारी, कब्जा काश्त व मालिकाना हक अधिकार की कृषि भूमि मौजा ग्राम दांतीवाड़ा तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 419 रकबा 23–08 वीघा भूमि आई हुई है, जिसमे से खसरा संख्या 419 मे से रकबा 0.4185 हेक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 बर–बिलाड़ा–जोधपुर सड़क निर्माण हेतु अवाप्त की गई है, उपरोक्त अवाप्ति कार्यवाही बावत भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना का.आ. संख्या 1265 (अ) का

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

दिनांक 13.05.2014 को प्रकाशित की गई, जिससे उपरोक्त अवाप्ति बाबत दिनांक 26.12.2018 को अवाप्तिधीन भूमि का अवार्ड राशि 62,27,148/– एवं दिनांक 22.02.2019 को संरचना का अवार्ड राशि 33,92,242/– अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पारित किया गया। उपरोक्त अवाप्तिधीन भूमि का अवार्ड दिनांक 26.12.2018 को पारित अवार्ड राशि 62.27,148/– प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण को जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने पत्रावली/आवेदन अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष दिनांक 22.03.2019 को पेश किया, लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर लापरवाही पूर्वक बैंक व विभाग को ब्याज का फायदा पहुचाने के लिए प्रार्थीगण की स्वीकृत राशि लम्बे समय तक जारी नही की, अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की राशि लगभग 6 माह तक बिना कोई कारण, बिना कोई नोटसीट/आदेशिका का अंकन किये रोक रखी तथा बैंक व विभाग के कर्मचारियो को फायदा पहुचाने व प्रार्थीगण की राशि जारी करने में देरी कर प्रार्थीगण को तंग परेशान करने के प्रयास किये गये। उपरोक्त अवाप्तिधीन भूमि पर स्थित संरचना का अवार्ड दिनांक 22.02.2019 को पारित अवार्ड राशि 33,92,242/– प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण को जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने पत्रावली/आवेदन अप्रार्थी संख्या 01 के समक्ष दिनांक 21.10.2019 को पेश किया लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर लापरवाही पूर्वक बैंक व विभाग को ब्याज का फायदा पहुचाने के लिए प्रार्थीगण की स्वीकृत राशि लम्बे समय तक जारी नही की अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की राशि लगभग 21 माह तक बिना कोई कारण, बिना कोई नोटसीट/आदेशिका का अंकन किये रोक रखी तथा बैक व विभाग के कर्मचारियो को फायदा पहुचाने व प्रार्थीगण की राशि जारी करने मे देरी कर प्रार्थीगण को तंग परेशान करने के प्रयास किये गये जिसका अप्रार्थीगण व इनके अधीनस्थ कर्मचारियो को कोई अधिकार नही है। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। बहस के अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की स्वीकृत राशि जारी करने मे अप्रार्थीगण द्वारा लापरवाही पूर्वक विधि विरूद्ध तरीके से देरी करने पर हुए प्रार्थीगण को नुकसान व भूमि अवार्ड की राशि जारी करने में हुई लगभग 6 माह व संरचना अवार्ड की राशि जारी करने में हुई 21 माह का ब्याज प्रार्थी को दिलाने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थीपक्ष–02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र जो प्रस्तुत किया गया है वह पूर्णतया गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थी ने अवाप्त भूमि के अवार्ड दिनांक 26.12.2018 एवं संरचना का अवार्ड दिनांक 22.02.2019 की निर्धारित राशि पर 6 माह एवं 21 माह का अतिरिक्त ब्याज दिलाने हेतु गलत रूप से प्रस्तुत किया गया हैं जबकि उक्त भूमि के अवार्ड दिनांक 26.12.2018 मे 12 प्रतिशत ब्याज जोडकर अवार्ड पारित किया गया है तथा संरचना के अवार्ड पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होता है। उक्त अवार्ड पारित होने के तुरन्त बाद अवार्ड राशि सक्षम अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी के पास जमा करवा दी गयी थी, जिस पर किसी भी प्रकार से आगे का ब्याज देय नही होता है इस प्रकार प्रार्थी ने ब्याज दिलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र निराधार एवं अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने के योग्य है। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत है कि प्रार्थी खातेदार के पक्ष में जारी अवार्ड की स्वीकृत राशि अप्रार्थी उतरदाता द्वारा लम्बे समय तक जारी नहीं की, जबकि अवार्ड राशि पारित होने के तुरन्त बाद सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के पास जमा करवा दी गयी थी, परन्तु प्रार्थी द्वारा भुगतान प्राप्त करने के संबधित औपचारीकता अण्डरटेकिंग आदि समय पर प्रस्तुत नही की, जो बाद में दिनांक 22.03.2019 को पेश की, तब जमा राशि का चौक दिनांक 20.05.2019 को सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी किया गया, जिसका भुगतान भी प्रार्थी ने प्राप्त कर लिया, इन परिस्थितियो में प्रार्थी का वर्तमान प्रार्थनापत्र काबिल निरस्त के है। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किये गये है वे पूर्णतया गलत है कि संरचना का अवार्ड दिनांक 22.02.2019 की राशि लम्बे समय तक जारी नही की, जबकि संरचना का अवार्ड पारित होते ही पारित राशि को तुरन्त अप्रार्थी संख्या 01 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी के पास जमा करवा दी गयी थी, उक्त राशि प्रार्थी को वितरण करने बाबत् गांव वालो ने विरोध किया तथा मंदिर, बाउण्ड्रीवाल, टांका व दुकान आदि संरचना ग्रामवासियो की है जिसकी अवार्ड राशि ग्रामवासियो को दिलाये जाने बाबत् उजरदारी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

उसके बाद ग्रामवासियो व प्रार्थी के बीच समझौता हुआ एवं सरंचना की अवार्ड राशि प्रार्थी को देने की सहमति हुई, तब उसका भुगतान किया गया। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 मे वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत है कि अवार्ड की स्वीकृत राशि जारी करने मे अप्रार्थी उतरदाता द्वारा देरी की जिससे प्रार्थी को नुकसान हुआ जबकि स्वीकृत अवार्ड राशि अवार्ड पारित होते ही तुरन्त जमा करवा दी गयी थी परन्तु प्रार्थी संरचना अवार्ड की सहमति प्रस्तुत नही कर पाने के कारण प्रार्थी ने स्वयं देरी से भुगतान प्राप्त किया है जिसके लिये प्रार्थी स्वयं दोषी है। इन परिस्थितियो मे प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अनुचित लाभ प्राप्त करने के उदेश्य से प्रस्तुत किया गया है जो काबिल निरस्त है प्रार्थी किसी भी प्रकार का अवार्डराशि पर ब्याज प्राप्त करने का कतई अधिकारी नही है। बहस के अंत में उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थीपक्ष की ओर प्रार्थी की अवाप्तसुदा भूमि हेतु स्वीकृत मुआवजा राशि जारी करने मे अप्रार्थीगण द्वारा लापरवाही पूर्वक विधि विरूद्ध तरीके से देरी करने पर हुए प्रार्थीगण को नुकसान व भूमि अवार्ड की राशि जारी करने में हुई लगभग 6 माह व संरचना अवार्ड की राशि जारी करने में हुई 21 माह का ब्याज प्रार्थी को दिलाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) कार्यालय में भूमि का मुआवजा हेतु दिनांक 27.03.2019 एवं सरंचना का मुआवजा हेतु दिनांक 18.12.2020 को आवेदन किया गया तथा प्रार्थी की अवाप्तसुदा भूमि से संबंधित अवार्ड दिनांक 26.12.2018 को व संरचना अवार्ड दिनांक 22.02.2019 को जारी किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र क्रमांक NHAI/11013/LA/RFCTLARR/PIU-Dausa/FTS-100/2015/72682 दिनांक 06.10.2015 में "2. Q. From Which date interest is payable. A. Since there is no provision of SIA in NH Act 1956, interest is payable from the date of publication of 3A notification in news papers to the date of award. का स्पष्ट प्रावधान वर्णित है, चूंकि प्रार्थी की अवाप्तसुदा भूमि हेतु जारी अवार्ड दिनांक 26.12.2018 के कॉलम संख्या 13 में धारा 3ए की अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 14.06.2017 से 26.12.2018 तक ब्याज की गणना की गई, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को नियमानुसार ब्याज का भुगतान किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पंचाट की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(गौरव अग्रवाल)
आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

पंचाट आज दिनांक 26.08.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(गौरव अग्रवाल)
आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)